सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 07 अग्रहायण, 1941 (श०) / 28 नवम्बर, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 99

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	15
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	37
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	21
(4)	कृषि विभाग	13
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	05
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	06
(7)	सहकारिता विभाग	02
	कुल योग --	99

सड़क का निर्माण

*348. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगबनी के नेताजी सुभाष चौक से डॉ0 सैकत तरफदार के घर होते हुए इस्लामपुर बोर्डर रोक तक जानेवाली सड़क पूरी तरह जर्जर होने के कारण नाले में तब्दील हो चुकी है, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण नाला सहित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*349. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत में स्थित सरकारी जमीन का खाता संख्या 391, खेसरा संख्या 1070, एक बीघा 5 कट्ठा जमीन को श्री मुंशी यमुना प्रसाद, पिता-श्री नेवी लाल, श्री उमा शंकर, पिता-स्व0 यमुना प्रसाद, श्री संतोष कुमार सिंह, पिता-रविन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य द्वारा वर्ष 2017-18 में बेचा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 710-2/स0, दिनांक 28 जुलाई, 2018 द्वारा अपर समाहर्ता, सहरसा को उक्त जमीन के विक्रय पत्र को रद्द करने हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, फिर भी आजतक बेची गई उक्त जमीन के विक्रय पत्र को रद्द नहीं किया गया है एवं विक्रेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त सरकारी जमीन को बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अनुदान देना

*350. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत प्रखण्ड चकाई एवं प्रखण्ड सोनो में अनावृष्टि की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है, जिससे धान का खेत परती रह गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड के प्रभावित किसानों को अनुदान देने का विचार रखती है ?

क्षतिपूर्ति राशि देना

*351. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2019 में कैमूर जिला के प्रखण्ड दुर्गावती, नुवाँव, रामगढ़ एवं चाँद में बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका सर्वे सरकार द्वारा करा लिया गया है, फिर भी आजतक किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*352. श्री केदारनाथ सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा मई, 2019 में आदेश दिया गया है कि जमीन संबंधी विवाद को निपटारे के लिए सभी थानों में थानेदार और अंचलाधिकारी को प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग थाना में पिछले 4 माह से अंचलाधिकारी द्वारा एक बार भी जमीन संबंधी मामलों का जनता दरबार नहीं लगाये जाने के कारण विवादित जमीन का मामले का निष्पादन नहीं किया गया है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गर्दनीबाग थाने में विवादित जमीन संबंधी मामलों पर जनता दरबार नहीं लगाने का क्या औचित्य है ?

सहायता राशि प्रदान करना

*353. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज एवं शाहकुंड प्रखण्ड के 500 एकड़ से अधिक में धान उपजाने वाले खेतों को कम्प्यूटर ऑपरेटर की गलती के कारण शाश्वत कृषि का खेत बना दिया गया है, जिस कारण 1,500 किसानों को वर्ष 2018 की सुखाड़ सहायता राशि से वंचित होना पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सुखाड़ पीड़ित किसानों के खेत को कम्प्यूटर शुद्धिकरण कराते हुए सहायता राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम की मरम्मती कराना

*354. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम का गोदाम जर्जर हो गया है, जिसके कारण प्रतिवर्ष बरसात के पानी से सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर गोदाम की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*355. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज नगर पंचायत में डांगीबाड़ी से चेंगमारी स्कूल होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज के पास NH-327E तक जाने वाली सड़क तथा प्रखण्ड कार्यालय के उत्तरी छोर से NH-327 E तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण शहर में प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है ?

पदस्थापन करना

*356. मो० कमरूल होदा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भू-राजस्व की वसूली एवं आमजनों की अन्य सुविधाओं के लिये सरकार ने प्रत्येक पंचायत को राजस्व हलका मानकर हलका कर्मचारी बहाली का निर्णय वर्ष 2011 में लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में किशनगंज प्रखंड के 10 पंचायत एवं 34 नगर परिषद् वार्ड के लिये केवल 4 हलका कर्मचारी तथा पोठिया प्रखंड के 22 पंचायतों के लिये केवल 6 हलका कर्मचारी पदस्थापित हैं, जिस कारण आमजनों का राजस्व भुगतान एवं अन्य कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किशनगंज एवं पोठिया प्रखंड के सभी पंचायतों में हलका कर्मचारी के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती कराना

*357. मो० नवाज आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के नगर आयुक्त, आरा के पत्रांक 1387, दिनांक 23 जुलाई, 2019 के आलोक में धर्मन चौक से अबरपुल, वलीगंज होते हुये धरहरा तक सड़क मरम्मती कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1,02,95,100 रुपये का प्राक्कलन तैयार होने के बाद भी इस रोड की मरम्मती कार्य हेतु आरा नगर निगम और नगर विकास विभाग, पटना द्वारा मरम्मती कार्य कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नाला का निर्माण

*358. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्र, बेगूसराय वार्ड नम्बर 32 अन्तर्गत NH-31 स्टेशन रोड से गाँधी चौक तक नाला की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के कारण सालों भर जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाले का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*359. श्री रवींद्र सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल नगर परिषद् क्षेत्र में अरवल भगत सिंह चौक से अरवल ब्लॉक तक जल-जमाव के कारण आवागमन में आमलोगों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान से कबतक जल निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूखाग्रस्त घोषित करना

*360. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में बेगूसराय जिला को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जबकि समस्तीपुर जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सूखा के प्रभाव से बेगूसराय जिला में एक तो गरमा फसल की बुआई नहीं हो पायी है, जिससे अगली फसल ससमय लगाने से किसान वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अन्य सूखाग्रस्त जिलों की तरह बेगूसराय जिला को पूर्ण सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को उसका लाभ देने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*361. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हराही तालाब के सौंदर्यीकरण एवं तालाब में गिरने वाले नाला को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिये 5 वर्ष पूर्व 1 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना स्वीकृति के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त योजना का 25 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हराही तालाब के स्वीकृत योजना का कार्य कबतक पूर्ण कराने के साथ विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कर अनुज्ञप्ति देना

*362. श्री प्रह्लाद यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 में लखीसराय जिला में जन-वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 के विज्ञापन के आलोक में वर्ष 2019 में अपात्र लोगों को (पात्रता से बाहर) जन-वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदा०, लखीसराय द्वारा दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कर दोषी पदा० पर कार्रवाई करते हुये पात्रता रखने वाले को अनुज्ञप्ति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा देना

*363. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 (ग) के अनुसार 12,000 की जनसंख्या मापदंड एवं गैर-कृषि कार्य पर निर्भरता की शर्तों को पूरा करने पर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज के दो पंचायत हसनपुर और बरबन्ना की जनसंख्या वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 14,671 एवं 13,300 है तथा रानीगंज बाजार के लोगों की गैर-कृषि कार्य पर निर्भरता है जो नगर पंचायत बनने की सभी अर्हताएँ पूर्ण कर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रानीगंज के नागरिकों को अधिकतम सुविधा देने के उद्देश्य से रानीगंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा की राशि का वितरण

*364. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सुरसंड/पुपरी एवं चेरौत प्रखंड में वर्ष 2019 में आयी बाढ़ से हुयी क्षति के चलते खरीफ फसल के मुआवजा की राशि का भुगतान अबतक किसानों को नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मुआवजा की राशि कबतक किसानों के बीच वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*365. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत के एन० एच० 107 से जानकी मास्टर के घर होते हुये कोहिनूर स्कूल से बनमाइटारी तक सड़क कच्ची होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*366. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर पंचायत के जबलपुर, आदिवासी टोला से चिमनी बाजार तक सड़क कच्ची है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कच्ची सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि को कब्जामुक्त कराना

*367. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के पंचायत मोलनापुर के ग्राम-शहरकोला में आठ बीघा जमीन खतियानी श्मशान है जिसे भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इस श्मशान की भूमि को अवैध कब्जा से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*368. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरेयाकोठी वि०स० क्षेत्र के प्रखंड गोरेयाकोठी में 22 पंचायत में नल-जल योजना लूट की शिकार हो गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन सभी पंचायतों में योजना राशि का भुगतान हो गया है, लेकिन 80 प्रतिशत योजना अधूरी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योजनाओं की राशि की लूट की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*369. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुर अंचलों में स्वीकृत बल के विरुद्ध राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन नगण्य है, जिसके कारण राजस्व संबंधी कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राजस्व कार्यों में तेजी लाने हेतु स्वीकृत बल के अनुसार राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती करवाना

*370. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बेतिया के एस० एच० 54 से लेकर के० आर० उच्च विद्यालय, बेतिया के मुख्य गेट तक पी० सी० सी० सड़क जर्जर हो गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जर्जर सड़क पर पाँच विद्यालयों के 20 हजार से ज्यादा बच्चों एवं वाहनों का परिचालन प्रतिदिन होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*371. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के गंडार, चैनपुर, खरौटी तथा पानापुर प्रखंड के रसौली तथा कोन्ध, भगवानपुर में लघु जलापूर्ति एवं जलापूर्ति योजना के तहत निर्माण कार्य विगत दो वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था, जिसमें संवेदक द्वारा कार्य के निष्पादन में अनियमितता बरती गयी है तथा अभीतक कार्य अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित योजना को पूर्ण कराने के साथ ही संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय स्थापित कराना

*372. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले में 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर मक्का और 45 हजार हेक्टेयर भूमि पर दलहन, तेलहन, गेहूँ, केला एवं पान की खेती होती है, फिर भी जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है, जबकि जिला के गोगरी अनुमंडल अन्तर्गत कृषि फार्म की जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उपलब्ध जमीन पर जिला में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

दुकान आवंटित करना

*373. श्री प्रकाश वीर--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत 25 जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं की मृत्यु हो जाने के कारण दुकान बन्द पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मृत जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं के आश्रितों को अनुकम्पा पर उक्त दुकानों का आवंटन करने का प्रावधान है, फिर भी पटना जिला में विगत दो वर्षों से अनुकम्पा समिति की बैठक नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुकम्पा समिति की बैठक कबतक कराकर आश्रितों को दुकान आवंटित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा दिलाना

*374. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जन्दाहा पंचायत एवं अरनियां पंचायत नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने की सारी पात्रता रखता है तथा प्रस्ताव एवं जाँच रिपोर्ट की सारी प्रक्रिया भी इसी वर्ष पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु अबतक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार जन्दाहा शहर को कबतक नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कचरा उठाव कराना

*375. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग ने 10 वर्ष पूर्व राज्य के सभी नगर निकायों में ''डोर-टू-डोर'' कचड़ा का उठाव करने का निर्णय लिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 5 साल से दरभंगा, पूर्णियाँ एवं कटिहार नगर निगम समेत राज्य के अधिकांश नगर निकायों में कचड़ा का उठाव ''डोर-टू-डोर'' नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा समेत राज्य के अन्य नगर निकायों में कब से ''डोर-टू-डोर'' कचड़ा उठाव कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*376. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी विधान सभा के नौहट्टा, रोहतास प्रखण्डों में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लगा चापाकल मानक के अनुसार नहीं लगाया गया है, जिससे 80 प्रतिशत चापाकल बन्द पड़े हैं, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण

*377. श्री राम विचार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के नगर पंचायत, साहेबगंज अन्तर्गत गाँधी चौक से आगे के भाग में ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहने से जल-जमाव के कारण लोगों का जीवन-यापन दूभर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार गाँधी चौक से आगे के भाग में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर वेस्ट पानी को ''बाया नदी'' में कबतक गिराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई के साथ कार्यान्वयन कराना

*378. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, शेरघाटी को विभाग द्वारा वर्ष 2015 में राज्य योजना मद से चार योजनाएँ यथा काली मंदिर से दरबार हाउस तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला, सत्संग नगर से लीपगंज चट्टी होते मोरहर नदी तक पी० सी० सी० सड़क एवं नाला जी० टी० रोड से मिल्कीबाग तक पी० सी० सी० सड़क तथा नूतन नगर में पी० सी० सी० सड़क एवं नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका कार्यान्वयन नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा अबतक नहीं कराया गया है, जिससे उक्त इलाके के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है एवं हमेशा जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित योजनाओं का कार्यान्वयन में विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ कबतक कार्यान्वयन कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*379. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के नगर परिषद्, जमुई द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 80 लाख रुपये के लागत से 'स्वागत द्वार' का निर्माण कराने की योजना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसका निर्माण वर्ष 2018 तक किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वागत द्वार के निर्माण के लिये 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान संवेदक को कर दिया गया है जबकि अबतक स्वागत द्वार का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्वागत द्वार का निर्माण कराते हुये कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि का भुगतान कराना

*380. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री खाद-बीज अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है जिस कारण किसानों को अनुदान की राशि के अभाव में उन्नत फसल उत्पादन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2018 का खाद-बीज अनुदान की लम्बित राशि किसानों को कबतक भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मशीन लगाना एवं साफ-सफाई कराना

*381. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका नगर परिषद् में 1 वर्ष से फौगिंग मशीन नहीं चल रहा है एवं साफ-सफाई भी नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार फौगिंग मशीन की संचालन के साथ साफ-सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*382. मो० नवाज आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा नगर निगम द्वारा अहिरपुरवा मोड़ से वलीगंज होते हुये धरहरा तक नाला निर्माण के कार्य में दो प्रकार के नाला का निर्माण किया जाना था, जिसके तहत आर०सी०सी० नाला का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरा ह्युम पाईप नाला निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार करना था, इसकी सूचना नगर विकास विभाग, पटना को नगर आयुक्त, आरा के पत्रांक-1113, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग पाँच महीने के बाद भी अभीतक नाला का पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार कर टेंडर प्रकाशित नहीं किया गया है, जिससे नाले के पानी की निकासी नहीं हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नाला का निर्माण कराते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*383. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सात माह पूर्व भागलपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता (पश्चिम) के ज्ञापांक-13, दिनांक 1 अप्रील, 2019 के आलोक में Regional Water Testing Laboratory PHED, भागलपुर द्वारा पेयजल की जाँच कराई गयी है, जिसमें सुल्तानगंज प्रखण्ड के करहरिया पंचायत के ग्राम पिपरा वार्ड नं०-6 का पेयजल पीने योग्य नहीं पाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु कौन-सी कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

गौशाला निर्माण कराना

*384. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखण्ड में एक भी गौशाला नहीं है, जबकि जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़कों पर लावारिस गायों के विचरण करने के कारण आये दिन दुर्घटना होते रहती है तथा पशुधन की हानि होती है, यदि हाँ, तो सरकार गायों के संरक्षण हेतु उक्त जिला के मदनपुर प्रखण्ड में कबतक एक गौशाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*385. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के नगर पंचायत बरौली में सिवान सरफरा रोड से निकलकर कोटवा रोड होते हुये बरौली सिवान रोड को जोड़ने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण बरौली बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का मरम्मती कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमिहीनों को बसाना

*386. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड के सेदहाँ गाँव में 23 मार्च, 2018 को मृत-आहर के पिंड पर बसे 18 भूमिहीनों के घर को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण आज भी प्रभावित लोग खानाबदोशों की तरह खुले आसमान में रह रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमिहीनों को कबतक बसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*387. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर अंचल में अंचलाधिकारी का पद जुलाई, 2019 से रिक्त रहने के कारण 26 पंचायत वाले मधेपुर अंचल में राजस्व का काम पूर्णतया ठप्प पड़ा है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्या ने अपने पत्रांक-76, दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को अंचल अधिकारी, लखनौर को अंचल अधिकारी, मधेपुर के रूप में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अंचल में अंचधिकारी का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*388. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज नगर पंचायत के डाक चौक से निबंधन कार्यालय तक नाला नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्रों के घरों से नाली की पानी निकासी नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार डाक चौक से निबंधन कार्यालय तक नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मशीन लगाना

*389. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0 1 से वार्ड नं0 51 तक के कूड़े-कचरे कनकैथी ग्राउण्ड में जमा किये जाते हैं, जिससे उक्त क्षेत्र के चारों तरफ कचरे का दुर्गन्ध फैलती है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कनकैथी ग्राउण्ड में कूचे-कचरे को डंपिंग कराने हेतु डंपिंग प्रबंधन मशीन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर डंपिंग प्रबंधन मशीन कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

*390. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड के तारापुर पंचायत को नगर पंचायत बनाने हेतु पात्रता होने के बावजूद इसे नगर पंचायत घोषित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार तारापुर को नगर पंचायत बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धन राशि मुहैया कराना

*391. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की गरीब भूमिहीनों को जमीन देने की योजना के तहत भूमिहीनों को 3 (तीन) डिसमिल जमीन एवं जमीन क्रय हेतु 60,000 (साठ हजार) रुपये देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड हरसिद्धी एवं तुरकौलिया में आज भी हजारों भूमिहीन भूमि के अभाव में आवास से वंचित हो रहे हैं तथा रोड के किनारे गुजर-वसर करने पर मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे वंचित परिवारों को कबतक वासगीत भूमि का निर्णय के अनुरूप धन राशि मुहैया कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का पी0सी0सी0 कराना

*392. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान सभा क्षेत्र के अमरपुर के बनिया चक वार्ड नं0 5 में नया तालाब तक पथ जर्जर अवस्था में रहने से वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ-साथ आमजनों सहित छठ के समय में छठव्रतियों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित पथ को कबतक पी0 सी0 सी0 कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुग्धशाला की स्थापना

*393. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड में विद्युत् ग्रिड के बगल में वासेचक में 61 एकड़ आम गैर-मजरूआ सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त इलाका कृषि प्रधान है तथा पशुधन प्रचूर मात्रा में है, परन्तु पशुपालकों को दुग्ध भंडारण का कोई साधन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि पर एक दुग्धशाला (Dairy) की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*394. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर नगर पंचायत के वार्ड नं0 3 में औगारी कैनाल के दक्षिणी भाग पर अवस्थित कब्रिस्तान के पास से निकलकर संजय कातिब के घर होते हुये नदी तक जानेवाली सड़क कच्ची एवं गड्ढेनुमा है, जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

मुआवजा देना

*395. श्री शम्भुनाथ यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सेमरी, ब्रम्हपुर एवं चक्की प्रखंडों में सितम्बर, 2019 में प्रलयंकारी बाढ़ से काफी मात्रा में किसानों का फसल बर्बाद हो गया है, जिसका प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट भी दिया गया है, फिर भी आजतक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पीड़ित किसानों को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*396. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में केवल 5 राजस्व कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं, जबकि वहाँ पंचायतों की कुल संख्या 32 है, जिसके कारण वर्तमान में भू-स्वामियों के 5325 म्यूटेशन के लिये प्राप्त आवेदन में 4285 पेंडिंग है जिससे भू-स्वामियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*397. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र के बौंसी प्रखंड के सुखनियाँ जलमीनार का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ किया गया था, जिसे संवेदक द्वारा बिना कार्य पूर्ण किये वर्ष 2018 से छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार का निर्माण कार्य कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*398. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के भागलपुर-अमरपुर मुख्य सड़क से कनकैथी डंपिंग ग्राउण्ड की ओर जाने वाली सड़क कच्ची है, जिसके कारण शहर के कचरे को डंपिंग ग्राउण्ड में ले जाने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का अधिग्रहण

*399. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर NH-2 के चौड़ीकरण हेतु जमीन का अधिग्रहण विगत दो वर्षों से किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया में जमीन का अधिग्रहण नया सर्वे वर्ष-1976 के आधार पर किया जा रहा है, जबकि केवल गया जिला के आमस अंचल में पुराना सर्वे वर्ष-1914 के आधार पर अधिग्रहण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के अन्य हिस्सों की तरह गया जिला के आमस अंचल में भी जमीन का अधिग्रहण नया सर्वे के आधार पर कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सालय भवन का निर्माण

*400. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हसनगंज प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन के अभाव में पशुओं की बेहतर चिकित्सा नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार हसनगंज प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ;

कार्रवाई करना

*401. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य भर में जन-वितरण प्रणाली के दूकानदारों को पी० यू० एस० मशीन के माध्यम से लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के 25 प्रतिशत जन-वितरण विक्रेताओं को ही अभीतक पी० यू० एस० मशीन से जोड़कर खाद्यान्न का उठाव हो रहा है, जबकि 75 प्रतिशत विक्रेताओं को स्वतंत्र छोड़ने के कारण एवं राज्य में पदाधिकारियों की मिलीभगत से लाभुकों को कम अनाज देकर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न कालाबाजारी की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कम वजन देने वाले 75 प्रतिशत जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार सहित संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*402. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव शहर के शिवकुमारी पहाड़ (सरकारी भूमि), S.S.V. College कहलगाँव (अंगीभूत) तथा 10+2 उच्च विद्यालय शारदा पाठशाला की सैकड़ों एकड़ अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने का निर्णय सरकार द्वारा अप्रैल, 2017 में लिया गया था, परन्तु आजतक उक्त भूमि पर अतिक्रमण व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अतिक्रमित भूमि को कबतक अतिक्रमण से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*403. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड नगर पंचायत में विगत 2 वर्षों से कार्यपालक पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण उक्त नगर पंचायत में नाला, सड़क निर्माण इत्यादि की स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्प हाउस बनाना

*404. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर प्रखंड का जल्ला क्षेत्र सम्पतचक प्रखंड एवं फतुहा से बिहटा तक पटना महानगर के अन्तर्गत आता है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत कुछ दिनों पहले पूरा पटना शहर बरसात के पानी के कारण जलमग्न हो गया था जिसका पानी पहाड़ी सम्प हाउस के द्वारा पटना सदर प्रखंड के जल्ला सम्पतचक प्रखंड की ओर छोड़ा गया था, जबकि पुनपुन नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण माधोपुर स्लूइस गेट से बरसात का पानी पुनपुन नदी में नहीं निकल पाया तथा पटना सदर प्रखंड के जल्ला एवं सम्पतचक प्रखंड जलमग्न हो गया था जिससे उक्त क्षेत्र में कई घर गिर गये एवं पूरा फसल बर्बाद हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बादशाही पईन को पक्कीकरण एवं जल्ला के माधोपुर स्लूइस गेट के नजदीक कबतक सम्प हाउस बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी निकासी की व्यवस्था करना

*405. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के आशियाना-दीवा रोड से सटे पूरब की ओर वार्ड संख्या 05 में 9 टू 9 दुकान के नजदीक अदीब कॉलोनी को सड़क जो जेड एण्ड जेड मार्केट से लेकर जमील खाँ के घर तक जाती है, गत बरसात का पानी नाले से निकल कर सड़क पर फैला हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित कॉलोनी एवं सड़क से पानी निकासी हेतु कौन-सी व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि देना

*406. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशु पालकों को पशुपालन के बढ़ावा हेतु 50 से 75 प्रतिशत अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है, जबकि सीतामढ़ी जिला में सैकड़ों दुधारू पशुओं के पशु पालकों को अनुदान की राशि विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित जिला के पशुपालकों को अनुदान राशि प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*407. श्री संजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला रोहतास अन्तर्गत प्रखंड विक्रमगंज नगर परिषद् में बस स्टैण्ड का निर्माण नहीं होने के कारण टेम्पों एवं जीपं आदि वाहन रोड के किनारे सवारी बैठाते हैं, जिससे वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार विक्रमगंज नगर परिषद् में एक बस स्टैण्ड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*408. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका विधान सभा में 2017 में आयी बाढ़ के समय विभाग द्वारा चापाकल मरम्मती एवं चापाकल प्लेटफार्म बनवाने पर 7 लाख रुपया खर्च किया गया है, जबकि चापाकल की मरम्मती एवं चापाकल प्लेटफार्म नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर गबन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*409. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड में सुखाड़ के मद्देनजर माह अक्टूबर, 2018 से जून, 2019 तक पेय जलापूर्ति हेतु कुल 228 मरम्मती चापाकलों की सूची संयुक्त सचिव (प्र० को०) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक-68/प्रा०आ०-1017/2019-3261, दिनांक 22 जुलाई, 2019 के द्वारा उपलब्ध कराया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के कुल मरम्मती चापाकलों की कुल संख्या 228 में लगभग 90 प्रतिशत चापाकलों की मरम्मती नहीं किया गया है और मरम्मती के वगैर उक्त चापाकलों की मरम्मती के नाम पर राशि का भुगतान कर लिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के चापाकल मरम्मती किये गये गबन एवं अनियमितता की जाँच कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला को बनवाना

*410. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में नाला निर्माण मद के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की देनदारी हेतु विभाग से 76,53,725 रुपये अवशेष रहने के बावजूद बिहारशरीफ शहर में बालिका उच्च विद्यालय से दक्षिण अयोध्या प्रसाद पथ में जितेन्द्र कुमार के घर से उदय कुमार एवं लक्ष्मी मास्टर के घर तक नाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाला को कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*411. मो० कमरूल होदा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की ककृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत अवस्थित सातों अंचल यथा पोठिया, किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, दिघलबैंक, टेढ़ागाछ अन्तर्गत कुल 18,594 भूमि का दाखिल-खरिज के वाद लम्बित है, जिसमें 11,132 (ग्यारह हजार एक सौ बतीस) वाद बिना कोई आपत्ती के भी लम्बित हैं, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

जमीन की बन्दोबस्ती करना

*412. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीगंज अंचल के खाता संख्या 136, प्लॉट संख्या 172, रकबा 2, एकड़ 7 डी0, मौजा हरिहर उर्दना, थाना संख्या 221 पर सैकड़ों अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग वर्षों से आवासित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन पर बसे लोगों द्वारा अंचलाधिकारी, नवीनगर को आवेदन देने के बावजूद जमीन की बन्दोबस्ती की कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा आवेदन के विपरीत अतिक्रमणवाद चलाकर वहाँपर बसे अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को हटाया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि पर बसे अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को काबिज जमीन का कबतक बन्दोबस्ती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का उड़ाही कराना

*413. श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के जमुनिया, बनराहा घाट नदी से जमुनिया पुल होते हुए डुबहा, धनौती नदी तक सरकारी नाला उड़ाही नहीं होने के कारण अनुपयोगी बना हुआ है, जबकि उक्त नाला में पूर्व में मछली पालन किया जाता था, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त नाला का उड़ाही कराकर पुनः मछली पालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*414. मो0 नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के विक्रम अंचल के मौजा अराप, थाना संख्या 96 में कायम जमाबंदी संख्या 281 एवं 481 को फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर भू-माफियाओं के मिलीभगत से राजस्व कर्मचारी के द्वारा उनके आश्रितों के नाम से नये जमाबंदी संख्या 1255 से 1260 तक कायम किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित नये जमाबंदी में पुराने जमाबंदी संख्या 279 एवं 1748 की भूमि को भी अवैध तरीके से मिला लिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर संलिप्त सरकारी सेवक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित करना

*415. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1986 में सारण जिला के सोनपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम बबुरबानीवासियों का गंगा नदी के भीषण कटाव से घर नदी में विलीन हो जाने के उपरान्त पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा पहाड़ीचक मौजा में 16 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिग्रहण के खिलाफ जमीन मालिकों द्वारा CWJC No.4557/87 (मा० उच्च न्यायालय, पटना), SLP No.3365/88 (मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली) तथा CWJC No.4557/92 (मा० उच्च न्यायालय, पटना), में दायर याचिका को मा० न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ग्राम के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु अधिग्रहित जमीन का पर्चा देकर पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*416. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र में 5,400 रु0 प्रति एकड़ की दर से वर्ष 2018-19 में ओलावृष्टि के कारण गेहूँ फसल क्षति का मुआवजा राशि Bank of India से रजिस्टर्ड 300 किसानों को सुरसंड प्रखण्ड में भुगतान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सुरसंड/पुपरी एवं चेरौत प्रखण्ड में अभीतक 1,050 किसानों को जो अन्य बैंक से रजिस्टर्ड है, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बचे हुए किसानों को कबतक ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति की मुआवजा राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*417. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखण्ड में किसानों द्वारा खरीफ और रब्बी फसल हेतु वर्ष 2017-18, 2018-19 में डेमोस्ट्रेशन किट 3,280 रुपये में क्रय किया गया तथा सरकारी प्रावधान के आलोक में राशि प्रतिपूर्ति हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर के पास आवेदन किया गया किन्तु अभीतक किसानों के उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार राशि की प्रतिपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा की राशि का भुगतान

*418. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है, परंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि0 R.E.F. सं0 BR/PMFBY/ K.H. 17:148 द्वारा हजारों किसानों का फसल बीमा किया गया था फिर भी दो वर्ष बीत जाने के बावजूद कम्पनी द्वारा फसल बीमा की राशि कृषकों को अभीतक भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित जिला के कृषकों को फसल बीमा की राशि का भुगतान कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य प्रारम्भ करना

*419. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत दुर्गापुर, चैंकियापहाड़पुर और भवानीपुर, खट्टी पंचायत में अभीतक नल-जल योजना का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*420. श्री रामदेव यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बेलहर प्रखण्ड मुख्यालय में जलापूर्ति हेतु पानी टंकी का निर्माण 30 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन आजतक उससे जलापूर्ति नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पानी टंकी से जलापूर्ति प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*421. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड के पोठिया पंचायत के एस०एच० 77, पोठिया चौक में दुर्गा स्थान होकर गोड़ियर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र के माध्यम से फलका अंचलाधिकारी को वर्ष 2018 में सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषी पर कार्रवाई के साथ अतिक्रमण से मुक्त कबतक कराने का विचार रखती है ?

जमीन अधिग्रहण करना

*422. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के० नगर प्रखण्ड अधीन गोआसी, महादलित टोला के ग्रामीणों के आवागमन हेतु जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण रास्ता का निर्माण नहीं हो पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन, पूर्णियाँ द्वारा गोआसी, महादलित टोला के ग्रामीणों को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने में शिथिलता बरते जाने के कारण सरकार के महादलित ग्रामों को संपर्कता प्रदान करने के लिये भूमि लीज/भूमि क्रय नीति रहने के बावजूद महादलित ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तत्काल भूमि क्रय/लीज नीति के तहत महादलित टोला, गोआसी के लिये संपर्कता सड़क हेतु जमीन अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना

*423. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर सहित प्रत्येक प्रखण्डों के खाद्यान्न विक्रेताओं को F.C.I गोदाम से प्रत्येक बोरे में गेहूँ और चावल की मात्रा 5 से 10 किलो तक की कमी रहती है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस कमी का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जिससे विद्यालय का मध्याह्न भोजन योजना भी अछूता नहीं रह गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गेहूँ व चावल के बोरे में 50 किलो से कम खाद्यान्न देने वाले पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट की मरम्मती

*424. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र में 15 हजार से ज्यादा LED स्ट्रीट लाइट एक वर्ष पूर्व EESL कम्पनी के माध्यम से लगवाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कम्पनी को ही सात वर्षों का मेंटेनेन्स की जिम्मेदारी दी गई है तथा मेंटेनेन्स नहीं करने पर प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड शुल्क निर्धारित है, जबकि शहर के आधे से अधिक स्ट्रीट लाइट पिछले एक वर्ष से खराब है, जिसका अबतक कोई मेंटेनेन्स नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को कबतक ठीक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*425. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के मौजा माधोपाड़ा, थाना सं० 108, खाता सं० 393, खेसरा 745, रकवा 5 बीघा में 62 महादलित परिवार विगत 50 वर्षों से अपना घर बना कर रह रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का वासगीत पर्चा अबतक दखलधारी महादलित परिवार को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये इन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 62 महादलित परिवार को जमीन का वास गीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*426. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज नगर पंचायत के झांसीरानी चौक से थाना होते हुये बहादुरगंज मुख्यालय से फसादी चौक एन०एच० 327 इ० तक सड़क कच्ची होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कच्ची सड़क को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*427. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के ऐसे भूमिहिन व्यक्ति जिनको आवास के लिये भूमि नहीं है, जिसके कारण उन्हें आवासित होने में कठिनाई हो रही है, को सरकार आवासीय भूमि कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*428. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत नगर परिषद्, मधेपुरा एवं नगर पंचायत मुरलीगंज में समुचित नालों के अभाव में जल-जमाव के कारण महामारी का खतरा बना रहता है, जबकि मधेपुरा नगर परिषद् के पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण भाग तथा मुरलीगंज नगर पंचायत के पश्चिमी भाग में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर को जल-जमाव से मुक्त कराने हेतु नालों के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*429. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत नगर पंचायत ठाकुरगंज में कॉलेज मोड़ से बुढ़ी डांगी तक नाला नहीं रहने के कारण शहर में जल-जमाव हो जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

त्रुटि सुधार करना

*430. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक जमीन का परिवार के सदस्यों के बीच बँटवारा के निबंधन हेतु मात्र 100 रु0 का शुल्क निर्धारित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पारिवारिक बँटवारा में किसी एक सदस्य की जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन स्वीकृत हो जाता है जबकि अन्य सदस्यों द्वारा जमाबंदी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर कम्प्यूटर द्वारा Deed Ready Exist बताया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कम्प्यूटर में जमाबंदी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में आ रही त्रुटि को कबतक सुधार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीढ़ी का निर्माण

*431. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान सभा क्षेत्र के अमरपुर के वार्ड नं0 5 में नया तालाब के चारों तरफ सीढ़ी घाट नहीं रहने से वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ-साथ छठ के समय में छठ व्रतियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित तालाब के चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराना

*432. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखण्ड में कृषि महाविद्यालय नहीं है, जबकि समेली कृषि फार्म का 10 एकड़ भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार समेली कृषि फार्म में कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल अधिष्ठापन की व्यवस्था करना

*433. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत प्रखण्ड चकाई एवं सोनों की जंगली इलाके जैसे असनातरी, सलैया, भेन्द्रा, बिसलो गाँवों में पेयजल की समस्या व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामीणों को कबतक पेयजल हेतु चापाकल अधिष्ठापन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी नियुक्ति कर वेतन देना

*434. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर विधान सभा सहित पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक एवं कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010 में किसान सलाहकारों का नियोजन किया गया था जिनको वर्तमान में 12,000 रुपये मानदेय दिये जाने के चलते परिवार के भरण-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सोनपुर विधान सभा सहित प्रदेश में नियोजित किसान सलाहकारों को स्थायी नियुक्ति कर वेतनमान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*435. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखंड अन्तर्गत रूपसपुर, खगहा पंचायत के झड़बेड़ मुसहरी तथा पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के खेजाबाड़ी, महादलित टोला संपर्क पथ हेतु भू-अर्जन/भूमि लीज नीति के तहत भूमि उपलब्धता के लिए जिलाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय पत्रांक 686/रा0, दिनांक 12 फरवरी, 2018 के द्वारा भूमि क्रय हेतु 30,19,860 रु0 की अधियाचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस बाबत जिलाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 2599, दिनांक 2 जून, 2018 तथा पत्रांक 4254, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 और पत्रांक 491, दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 द्वारा सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवंटन की अधियाचना किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई कारंवाई नहीं करने से महादलित समुदाय के इन ग्रामवासी को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

वेतन संरक्षण दिलाना

*436. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पटना पश्चिम प्रमंडल, पटना के वर्ष 2014 में समायोजित कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, शेखपुरा एवं पटना पूर्वी के वर्ष 2014 में समायोजित कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ नियमित रूप से विभाग द्वारा दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अन्य प्रमंडलों के अनुरूप पटना पश्चिम प्रमंडल के 2014 से समायोजित कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मुहैया कराना

*437. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत अलीगंज प्रखण्ड एवं सिकन्दरा प्रखण्ड में अवस्थित जलमीनार से सुचारू रूप से आमजनों तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा जहाँ-तहाँ पाइप भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित प्रखण्डों के पाइपों की मरम्मती कराते हुये सुचारू रूप से पेयजल कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम चालू करना

*438. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखंड में तीन वर्षों से राज्य खाद्य निगम का गोदाम बनकर तैयार है फिर भी इसमें गोदाम चालू नहीं रहने के कारण डीलर को दूसरे प्रखंडों के गोदाम से अनाज उठाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उठाव खर्च अधिक व्यय करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गोदाम को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*439. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के खवासपुर पंचायत के वार्ड नं० 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16 एवं 18 अन्तर्गत हर घर नल का जल योजनान्तर्गत पाइप बिछाने से लेकर अन्य जलापूर्ति संबंधी कार्यों में गड़बड़ी की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*440. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा नगर परिषद् एवं मुरलीगंज नगर पंचायत में पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*441. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज नगर पंचायत एवं मदनपुर प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक शौचालय नहीं है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर कबतक सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय आवंटित करना

*442. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना महानगर योजना समिति के उपाध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 23 सितम्बर, 2017 को हुआ है उस समय से आजतक एक भी बैठक एवं उपाध्यक्ष को बैठने के लिये कार्यालय का आवंटन नहीं हुआ है जबकि नियमावली के अनुसार प्रत्येक तीन माह पर बैठक करना अनिवार्य है, यदि हाँ, तो सरकार पटना महानगर योजना समिति की बैठक कराने एवं उपाध्यक्ष के लिये कार्यालय आवंटित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान करना

*443. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सत्तर-कटैया प्रखंड के पुरीख पैक्स एवं भेलवा पैक्स द्वारा वर्ष 2016-17 में आपूर्ति किये गये चावल का मूल्य क्रमशः 26 लाख एवं 16 लाख का भुगतान अभीतक बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बकाये का भुगतान कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम निर्माण कराना

*444. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखण्ड अन्तर्गत सागर पैक्स एवं हरदियावाद पैक्स का गोदाम 200 एम० टी० भण्डारण क्षमता का ही है, जिससे अनाज के अधिक भण्डारण में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो उक्त गोदामों की भण्डारण क्षमता 1,000 एम० टी० कराने के लिये बड़ा गोदाम का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बतलाना

*445. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कुम्हरार विधान सभा अन्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 31 से 48 तक एवं 55 नं० वार्ड में सितम्बर माह से 10 अक्टूबर तक भारी जल-जमाव के कारण बदतर स्थिति थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भयावह स्थिति में पटना नगर निगम के सभी वार्डों में लगा सम्प हाउस भी ठप पड़ गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना नगर निगम क्षेत्र को जल-जमाव से मुक्ति दिलाने हेतु कौन-सी कार्य योजना कबतक लाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*446. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखण्ड के ग्राम-धनहर में पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाई होती है, जबकि प्रखण्ड मुख्यालय के आधी आबादी इसी ग्राम में रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में पेयजल की सुविधा कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (ई०)।

बि०स०मु० - 101 (एल० ए०), 2019-20 डी०टी०पी० -550